क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
		की सेवा से प्रसन्न होकर वादी ने उक्त सम्पत्ति में अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1/2 हिस्से दान पत्र, व 1/2 हिस्से का मय मकान दिनांक 6.1.14 को उप पंजीयक चाकसू के नाम दान पत्र किया गया था इस कारण उक्त वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं. I की स्व अर्जित सम्पत्ति है न की पैतृक सम्पत्ति है जिसपर वादी का कभी भी कब्जा काश्त रहा है न ही स्व अर्जित सम्पत्ति पर कोई हक व अधिकार नहीं होने से अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर अप्रार्थी सं. 1 अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति का उपयोग उपभोग करने से वंचित रहेगा जिससे अप्रार्थी सं. 1 को आर्थिक हानि होगी व प्रार्थी को किसी प्रकार से कोई हानि कारित नहीं होगी इस प्रकार प्रार्थना पत्र के जवाब प्रा-पत्र व दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना उचित समझते हैं ताकि अप्रार्थी अपने स्व अर्जित सम्पत्ति का उपयोग, उपभोग कर सके। अतः	